न्यायालय तहसीलदार, पुष्कर (जिला अजमेर)

प्रकरण संख्या 18 / 2023

सरकार जरिये पटवारी हल्का किशनपुरा बनाम धर्मासिंह पुत्र जीवण, भंवरसिंह पुत्र जीवण,
सुवासिंह पुत्र जीवण समस्त जाति रावत
निवासी रूवालिया दड़ा, ग्राम गोयला
तहसील पुष्कर जिला अजमेर

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 19.07..2023

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का किशनपुरा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि अप्रार्थीगण द्वारा संवत 2080 में ग्राम किशनपुरा के चरागाह भूमि के ख.नं. 388 रकबा 0.15 हैक्टेयर किस्म बीड तथा खसरा नम्बर 389 किस्म बीड़ कुल रकबा 0.55 हैक्टेयर में से 0.40 हैक्टेयर की भूमि पर पर मिट्टी ग्रेवल की डोल बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया हैं।

पटवारी हल्का की रिपोर्ट से आश्वस्त होकर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थीगण द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में नियत दिनांक 12.07.223 को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र /जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा उक्त अतिक्रमण को हटा लिये जाने संबंधी कथन किये। जिसके संबंध में पटवरी हल्का किशनपुरा से रिपोर्ट ली गई जिसकें अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा उक्त अतिक्रमण नहीं हटाया जाना पाया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में चरागाह दर्ज है तथा पटवारी रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण किया है। साथ ही अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उक्त अतिक्रमण हटाये जाने संबंधी कथन किये है जिससे अप्रार्थीगण द्वारा अतिक्रमण किया जाना सिद्ध होता है। प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 उचित प्रतीत होती है। अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी करार दिया जाकर विवादित आराजी से बेदखल किया जावे तथा भूमि का कब्जा राजहित में लिया जावे। दण्ड स्वरूप वार्षिक लगान 1.1 का 50 गुणा 55/–रूपये कायम की जाती है। शास्ति राशि की वसूली, बेदखली/जब्ती/निलामी की कार्यवाही हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक नान्द एवं पटवारी किशनपुरा तथा मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावें। तहसील राजस्व लेखाकार को पत्रावली मांग कायमी हेतु भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार पुष्कर
जिला अजमेर
तहसीलदार
पुष्कर (अजमेर)